

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 913/11-सी-FP/UP/Others/49462/2020, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 04, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी०एस०टी०पी० के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/49462/2020)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र-8बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ०सी०/४९९ दिनांक 02.02.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-1086/14-1 दिनांक 27.09.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 913/11-सी FP/UP/Others/49462/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।
- 3- परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र०, जल निगम ग्रामीण आगरा।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 913/11-सी FP/UP/Others/49462/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
पत्रांक 1086 / 14-1(49462/2020), आगरा, दिनांक, 27, सितम्बर, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बाँईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाँईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./४९९ दिनांक ०२.०२.२०२४ एवं आपके कार्यालय का पत्रांक ११-सी-१९५१/४९४६२/२०२० दिनांक ०६.०२.२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। प्रस्ताव के शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों, प्रमाण पत्र आदि सहित पोर्टल पर अपलोड कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 1151/14-1 दिनांक 20.09.2024 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर आख्या निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन
1.	The legal status of the land remains unchanged	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.9024 ha. Non forest land in Madayana Gram Samaj, Range Fatehabad District Agra at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण की राशि रू० 18,33,300.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माध्यम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
4.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
5.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि खतौनी में वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी है जिसका भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 का प्रस्ताव इस कार्यालय की पत्र संख्या-546/14-1 दिनांक 09.08.2024 द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न है) जो उच्च स्तर पर प्रकियाधीन है।
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9024 ha. Forest area to be	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की राशि रू० 8,64,301.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के

	diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-09-2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	माध्यम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
8.	No tree felling shall be done in TTZ area during execution of project works without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
9.	KML file , Geo-reference & toposheet map of proposed forest land need to be uploaded.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
10.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	अपलोड है।
11.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	अपलोड है।
12.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
13.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
14.	No labour camp shall be established on the forest land.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
15.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
17.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
18.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
19.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त का अनुपालन किया गया है।

20.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. Of India.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
21.	The KML file of the area for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
22.	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO) /Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made there under, in the court having jurisdiction in the matter.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
23.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	अपलोड है।
24.	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
25.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	शर्त का अनुपालन किया गया है
26.	compliance report shall be uploaded on e-portal(https://parivesh.nic.in).	शर्त का अनुपालन किया गया है।

विषयांकित प्रस्ताव में अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

अमरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 1151/14-1 दिनांक 20.09.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, ग्रामीण आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

